राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	169/2022 रामावतार बनाम सरकार हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27/04/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत उदघोषणा इस आशय का पेश किया कि ग्राम तन समोर, पटवार मण्डल डांगरवाडा, तहसील जमवारामगढ़, जिला जयपुर में भूमि खसरा नम्बर 101, 163, 173, 187, 242, 99 कुल किता 06 रकबा 7.7500 हैक्टेयर में तेज्या पुत्र मूलचन्द का हिस्सा 3/32 भाग, खसरा नम्बर 184 रकबा 0.0800 हैक्टेयर तेज्या पुत्र मूलचन्द का हिस्सा 1/128 भाग व तेजाराम पुत्र मूलचन्द का हिस्सा 1/32 भाग, खसरा नम्बर 105 रकबा 0.0500 हेक्टेयर में तेज्या पुत्र मूलचन्द का हिस्सा 1/84 भाग व तेजाराम पुत्र मूलचन्द का का हिस्सा 1/16 भाग खसरा नम्बर 102 रकबा 0.0600 हेक्टेयर में तेज्या पुत्र मूलचन्द का हिस्सा 3/64 भाग व तेजाराम पुत्र मूलचन्द का हिस्सा 1/32 भाग, खसरा नम्बर 4. में प्रार्थी का शामलाजी हिस्सा स्थित है, जिसके राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम तेजाराम व तेज्या कर दिया गया है। प्रार्थी का नाम रामअवतार है तथा उसे तेजाराम व तेज्या के नाम से भी पुकारते है. उक्त दोनो नाम प्रार्थी के ही है, तथा प्रार्थी के अन्य समस्त दस्तावेजो यथा, परिचय पत्र, अधार कार्ड, राशन कार्ड आदी में नाम रामअवतार अंकित है, किन्तु उक्त भुमि के राजस्व रिकार्ड मे नाम तेजाराम व तेज्या कर दिया गया है, जिसे दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। प्रार्थी के नाम मे हुऐ भिन्नता की वजह से प्रार्थी को अनेक प्रकार की कठिनाईयो का सामना करना पड रहा है. इस लिए राजस्व रिकार्ड मे अंकित नाम तेजाराम / तेज्या के बजाय रामअवतार दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। वाद पत्र के अन्त में निवेदन किया गया कि ग्राम तन सामोर, पटवार मण्डल डांगरवाडा, तहसील आँधी, जिला जयपुर में तेज्या व तेजाराम के नाम से स्थित भुमि खसरा नम्बर 101,163,173,187,242,99 कुल किता 06 रकबा 7.7500 हेक्टेयर मे हिस्सा 3/32 भाग, खसरा नम्बर 184 रकबा 0.0800 हेक्टेयर में हिस्सा 5/128 भाग, खसरा नम्बर 105 रकबा 0.0500 हेक्टयर में हिस्सा 5/64 भाग, खसरा नम्बर 102 रकबा 0.0600 हैक्टेयर मे हिस्सा 5/64 भाग, खसरा नम्बर 42 रकबा 0.0300 हैक्टेयर में प्रार्थी का शामलाती हिस्से के राजस्व रिकार्ड में अंकित प्रार्थी का नाम तेजाराम/तेज्या के बजाय रामावतार दुरुस्त करने की कृपा फरमाई जावे। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत होने पर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 27/09/2022 सरसरी तौर पर पारित करते हुये वादी का वाद केवल मात्र	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	769/2022 रामावतार बनाम सरकार हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

गुणावगुण के आधार पर अस्वीकार किया जाना अंकित कर ख़ारिज फरमा दिया गया | जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गयी, जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी |

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन निर्णय अवलोकन किये जाने से यह प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्यों का विवेचन किये बिना ही सरसरी तौर पर वादी का वाद गुणावगुण के आधार पर अस्वीकार होना अंकित कर ख़ारिज कर दिया गया, जबकी विधि के प्रावधानों के अनुसार साक्ष्य-सबूत को विस्तृत रूप से विवेचित करते हुये निर्णय पारित किया जाना आवश्यक होता है | ऐसी स्थिति में विधि में निहित प्रक्रियां एवं प्राव धानों के विपरित जाकर सरसरी तौर पर पारित किया गया अपीलाधीन निर्णय त्रुटीपूर्ण प्रतीत होने से निरस्त किये जाने योग्य जाहिर होता है |

अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 27/09/2022 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि विधिक प्रक्रियाओ एवं प्रावधानों का अनुसरण करते हुये बाद सुनवाई पक्षकारान विधिसम्मत एवं विवेचनात्मक निर्णय पारित करे, तदनुसार अपील स्वीकार की जाती है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 27/04/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |